

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) सुनीता देवी पति- तिलेश्वर उरांव 2.) रीना मिंज पति- नरेश उरांव 3.) मंजु तिकी पिता- पड़कु उरांव 4.) संझू तिकी पिता- पड़कु उरांव 5.) प्रदीप उरांव पिता- पड़कु उरांव 6.) नरेश उरांव पिता- स्व. राम् उरांव 7.) आदित उरांव पिता- तिलेश्वर उरांव (नाबालिंग) एवं 8.) अंकित उरांव पिता- नरेश उरांव (नाबालिंग) ग्राम: सराढ़ू, थाना : टंडवा जिला : चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के उरांव तहत ग्राम: सराढ़ू थाना थाना: सं.-29 (रैयती भूमि) के खाता सं.- 134 ; के अधीन प्लॉट सं. -490, 495, 497, 519, 520, 527, 543, 544P, 545P, 551P, 633, 639, 634, 635, 644, 652, 653, 655, 657, 618, 619, 629, 631; Khata No.-202 ; के अधीन प्लॉट सं. -1732, 1737, GMJJ Land- Khata No.-278 ; के अधीन प्लॉट सं. -658, 658/5 क, 489/11 क, 489/18 क, 658/5 ख, 489/11 ख, 489/18 ख, 658/5 ग, 489/11 ग, 489/18 ग.; कुल रकबा: - रैयती भूमि(8.091 एकड़ एवं गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी 7.91 एकड़)) कुल रकबा: - 16.0111 एकड़ के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, रॉची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (मगध - संघमित्रा), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

22/08/2024
C.MI(Min.)/L.R.